

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई मुकाम अराई (अजमेर)

- मागचन्द दत्तक पुत्र रतनदास, जाति साद, निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज. -वादी।

बनाम

- आशा देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश, जाति साद, उम्र बालिग निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। -प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 57/2023

ऑनलाइन नंबर 2023 /

वकील वादी :- योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इसा हुकम की तामील मे जारी हुए |
|------------|---|--|
| 28.08.2023 | <p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2023 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अराई</p> | <p>27/9/23</p> <p>पत्रावली पेश की वकील वादी उपर प्रतिवादी सम्य 01 से 21 तथा 23 व 24 के मामिल मुद्दों सम्मन उपर को शामिल मिसल प्रतिवादी 01 व 2 उपर समवि के धारण अहित किने कम प्रतिवादीगण अनुमति माँगे वारे एवाच प्रतिवादीगण तथा तलबी प्रतिवा. 22 हेतु पत्रावली दिनांक 27/10/2023 को पेश की</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)</p> <p>प्रतिवादी 01, 02 व 24 की ओर से निवेदन कि यदि Byrnet and Bandol का धारण बल्लरा निम्नलिखित लोहकाने आयेने गये</p> <p>27/10/2023</p> <p>पत्रावली पेश की वकील वादी उपर प्रतिवादी 01, 02, 19 एवं 23 प्रतिवादी 11 से 18 के वकील श्री. गणेश गुजापत उपर धारण बल्लरा निम्नलिखित किम्पने आ नि एवाच हेतु कम पत्रावली</p> <p>27/10/2023</p> <p>21/10/23</p> <p>21/10/23</p> |

जो
तारी

पुस्तक की पंक्ति में आकर पढ़ना शुरू
पुस्तक में यहाँ तक की जाती है
शान्त पुस्तक किताबों में पुस्तक
आपके आगे यह सब किताबें हैं
पुस्तकें हैं

15/10/2024

पुस्तक की पंक्ति में आकर पढ़ना शुरू
आपके आगे यह सब किताबें हैं
पुस्तकें हैं
आपके आगे यह सब किताबें हैं
पुस्तकें हैं
आपके आगे यह सब किताबें हैं
पुस्तकें हैं